न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. कानाराम पुत्र सावताराम जाट
2. गोपालराम पुत्र सावंताराम जाट
3. सुखाराम पुत्र सावंताराम जाट
निवासी भावसिया तह. परबतसर

1. मेवा पुत्र हणुता जाट
निवासी भावसिया तह. परबतसर
2. तहसीलदार , परबतसर
3. उप पंजीयक परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर :– 108/2018 निर्णय दिनांक :– 17.2.20

## निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि एक वाद प्रतिवादी 1 ने प्रस्तुत कर रखा हैं तथा वाके भावसिया के खसरा नम्बर 530, 531, 532, 533 कुल रकबा 17.15 हैक्टयर में से हम प्रार्थीगण को जो मूल वाद में प्रतिवादी 7, 8, 9 हैं के बंट व हिस्से की भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं तथा जबरन हमारे हिस्से की भूमि पर काबिज होने पर आमादा हैं ग्राम भावसिया के राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 206, 206/1, 206/2 तथा 206/3 कुल रकबा 106 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 530, 531, 532, 533 कुल रकबा 17.15 हैक्टयर इसमें वादी वर्तमान में खसरा नम्बर 531 रकबा 3.40 हैक्टयर भूमि पर काबिज चला आ रहा हैं पुख्ता सीवे नीवे कायम कर रखी हैं वादी जो वर्षो पुराना बंटवारा आपसी सहमति से दूर नजदीक हल्की भारी को देखते हुए किया गया हैं उसको अस्वीकार करते हुए जबरन खसरा नम्बर 530 में से भूमि मांग रहा हैं जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं वादी ने लिखित दिनांक 19.05.2003 में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपेन कब्जे बंट में 21 बीघा भूमि होने के तथ्य को स्वीकार करते हुऐ अपने हस्ताक्षर अंगुठाा किया हैं जिससे वह पाबन्द हैं वादी की नियत में फितुर आ गया हैं तथा वह अपने वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/4 हिस्से के अनुसार 4.2875 हैक्टयर भूमि होती हैं उससे भी अधिक खसरा नम्बर 531 रका 3.40 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 530 में से 1.0575 हैक्टयर कुल 4.4575 हैक्टयर की विधि विरूद्व अवैध मांग कर रखा हैं जिसके लिये वादी ने इस न्यायालय में वाद पेश किया हैं जिसका अनुवान गणेशराम बनाम श्योदान, मेवाराम वगैराह हैं जिसमें भी वादी ने पूर्व हो रखे बंटवारे अनुसार बंटवारा करवाना नहीं चाहा हैं अब पुनः वाद पेश किया हैं जिसका उसे कोई हक नहीं हैं प्रतिवादी 7, 8, 9 विवादित भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 530 रकबा 5.99 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 206 रका 37 बीघा पर वर्षो पूर्व हो रखे बंटवारे अनुसार काबिज चले आ रहे पुख्ता सीव नीव



उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

कायम की हुई है। वादी जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी 7 से 9 यानि प्रार्थीगण ग्राम भावसिया के खसरा नम्बर 530 रकबा 5.99 हैक्टयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करने व भूमि बेचान नहीं करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की गई है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.12.2018 को अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रालवी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा साबित करने हेतु तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को सिद्ध करना आवश्यक हैं जिसका विवारण निम्नानुसार हैं कि :–

(अ) प्रथम दृष्टया मामला

इस बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम भावसिया के खसरा नम्बर 530, 531, 532, 533 कुल रकबा 17.15 हैक्टयर भूमि अन्य सह खातेदारो सहित प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे कातश में आया हुआ है। जिसका सभी खातेदारो ने अपनी अपनी सुविधा से अच्छी बुरी तथा नजदीक दुरी के अनुसार मौके पर बंटवारा कर वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जिसका लिखित समझौता भी पक्षकारान के मध्य हो रखा हैं। अप्रार्थी उस बंटवारे इन्कार हो गया हैं तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वह हिस्से में रखी गई भूमि का संयुक्त खातेदारी के आधार बैचान करने पर आमादा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने एक लिखित दिनांक 19.05.2003 पेश की हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 206 रकबा 37–00 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 530 रकबा 5.99 हैक्टयर में 32 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्से में रखी गई हैं तथा शेष भूमि में अन्य सह खातेदारो व अप्रार्थी 1 के हक हिस्से में अलग अलग रखी गई है। जिसके अनुसार यह सही हैं कि पक्षकारो में विवादित सम्पूर्ण भूमि का पक्षकारो में आपसी सहमति से मौके पर भौतिक बंटवारा होना प्रतीत होता है। बंटवारे मुताबिक खसरा नम्बर 530 की भूमि के हक हिस्से में रखा जाना प्रतीत होता है। लेकिन संयुक्त खातेदारी में दर्ज हक हिस्से मुताबिक अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो जाता हैं। प्रार्थीगण को जो उन्हें भौतिक रूप बंटवारे में मिली भूमि जिसको प्रार्थीगण ने सुधारा हैं तथा काबिल काश्त बनाया हैं से वंचित हो जायेगे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी व अन्य सह खातेदार के बिच उक्त बंटवारा होकर मौके पर अलग अलग काबिज काश्त हैं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण प्रस्तुत लिखित से मौके पर खातेदारो में विवादित भूमि भौतिक रूप से बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

किया जाकर अलग अलग काबित काश्त होना प्रतीत होता है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :–

इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि विवादित सम्पूर्ण भूमि मौके पर बंटी हुई हैं तथा वर्षो से अलग अलग कश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे के अनुसार वर्षो से अपने हक हिस्से व बंट में प्राप्त भूमि का सुधार किया हैं पेड़ पौधे व चारो तरफ डोल आदि लगाकर सुरक्षित करते हुऐ काश्त करते आ रहे हैं। संयुक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी 1 खसरा नम्बर 530 में से भूमि का बैचान करने पर आमादा हैं जबकि खसरा नम्बर 530 मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से में आया हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित दिनांक 19.05.2003 के अनुसार खसरा नम्बर 206 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 530 सम्पूर्ण प्रार्थीगण के हक हिस्से में आया हुआ हैं जिसमें संयुक्त खातेदारी के अनुसार दर्ज हिस्से की भूमि का अप्रार्थी बैचान किया जाता हैं तो प्रार्थीगण को असुविधा होना सम्भव है। प्रार्थीगण ने अपने बंट में आयी भूमि के चारो तरफ डोल लगाकर भूमि सुरक्षित करते हुए सुधारा हैं पेड़ पौधे लगाये हैं तथा भूमि को काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी अपने मनसुबों में कामयाब होता हैं तो प्रार्थीगण को असुविधा होने की पूर्ण सम्भावना है। जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में सिद्ध होता है।

(स) अपूर्णीय क्षति :–

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। ग्राम भावसिया के खसरा नम्बर 530, 531, 532, 533 कुल रकबा 17.15 हैक्टयर भूमि अन्य सह खातेदारो सहित प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे कातश में आया हुआ है। जिसका सभी खातेदारो ने अपनी अपनी सुविधा से अच्छी बुरी तथा नजदीक दुरी के अनुसार मौके पर बंटवारा कर वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.05. 2003 को लिखित समझौता भी हो रखाा हैं जिसके अनुसार अलग अलग काबिज काश्त हैं तथा मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण को उनके हक व बंट में प्राप्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 530 की सम्पूर्ण भूमि प्राप्त हुई हैं तथा उसी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं मौके भौतिक रूप से बंटवारे में प्राप्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर भूमि के चारो तरफ डोल लगाकर सुरक्षति किया हैं तथा भूमि पर पेड़ पौधे आदि लगाकर विकसित किये हैं तथा भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। संयुक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी 1 द्वारा अपने हक हिस्से का इस भूमि में से बैचान कर कब्जा किसी को सुपुर्द किया जाता हैं तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। भूमि का मौके पर बंटवारा होकर अलग अलग काबिज काश्त हैं अथवा नहीं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

होना हैं। लेकिन प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि के खसरा नम्बर 530 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रतीत होता हैं, ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय से पूर्व संयुक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 530 में आपने संयुक्त हक हिस्से के आधार पर भूमि का बैचान किया जाता हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हम में सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों प्रावधान सिद्ध करने में सफल रहे है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होता हैं स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम भावसिया के खसरा नम्बर 530 रकबा 5.99 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्से का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे तथा ना ही प्रार्थी उक्त हिस्से में मजाहमत करें। खसरा नम्बर 530 के शेष हिस्से में खातेदार स्वतंत्र रहेगें। यह आदेश आज दिनांक 17.2.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मुंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner